राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–मुसप्र/2017/499 दिनांक :– 15/8/17

आदेश

आवासीय योजना, खण्ड–बारां के अन्तर्गत छीपा बड़ौद, वृत्त–कोटा कार्यालय के अधीन उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा/अति0 मुख्य अभियन्ता–तृतीय द्वारा घरौंदा (प्लिंथ स्तर) के कुल 9 आवासों को नीलामी द्वारा निस्तारित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	आय वर्ग	भूखण्ड़ संख्या	माप	कुल आवास
1	घरौंदा (प्लिंथ स्तर)	45, 46, 47, 280, 281, 282, 283, 284, 285	3.75X 8.00 M	09
		Total		09

उक्त घरौंदा (प्लिंथ स्तर) के कुल 09 आवासों का निस्तारण निम्न शर्तो पर किया जाना है :–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेश्यक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/~~तृतीय~~, रा.आ.म. जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियंता–तृतीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.म. जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा, रा.आ.म. कोटा।
7. आवासीय अभियंता खण्ड–बारां, रा.आ.म. बारां।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) रा.आ.म. जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता को मेल करे।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0) रा.आ.म. जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक